न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 प्रेमाराम पुत्र उदाजी		1. भीखाराम पुत्र धुलाजी
2 डासुराम पुत्र उदाजी		2. भीमाराम पुत्र धुलाजी
3 नारायण पुत्र उदाजी जातिगण घांची निवासीगण नितोडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही		3. गलबीदेवी पत्नि बाबुलाल 4. रमेश पुत्र साकला 5. सोदाराम पुत्र वनाजी जातिगण घांची निवासीगण नितोडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

श्री प्रकाश धवल, विद्वान अभिभाषक चौपाराम
श्री राजेन्द्रसिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5.12.2017

अपीलाण्ट चौपाराम की ओर से यह अपील अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2012 प्रेमाराम वगैरा बनाम भीखाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की। इसके साथ अपीलाण्ट चौपाराम पुत्र पुनाजी जाति घांची निवासी नितोडा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 2 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रेमाराम वगैरा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कृषि भूमि खसरा नम्बर 499 रकबा 3.08 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 518, 519, 520, 521 व 500 में स्थित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज का अनुतोष चाहा। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने दुर्भीसंधि करते हुए अपीलाण्ट चौपाराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 498 में से एक बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने का आदेश पारित करवाया, जबकि प्रकरण में न तो चौपाराम पक्षकार संयोजित था तथा न ही चौपाराम को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.07.2015 को आदेशिका में खसरा नम्बर 498 में से होकर भूमि चाहने बाबत नोट अंकित करवाया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विधि में वर्णित प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए चौपाराम को बिना पक्षकार बनाए, बिना सुनवाई का अवसर दिए, उसकी खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने बाबत जैर अपील आदेश पारित किया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि चौपाराम द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जबकि चौपाराम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार ही संयोजित नही था। इस कारण चौपाराम को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में चौपाराम को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त ही नही हुई, इसके बावजूद अपील प्रस्तुत की है, जो विधि अनुकूल नही होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं को अपीलाण्ट के तौर पर इन्द्राज करने की मंशा से यह अपील प्रस्तुत की है, जबकि अपीलाण्ट प्रेमाराम वगैरा को नियुक्त किया गया है, विधिवत अपील प्रस्तुत नही की है तथा न ही विधि अनुसार शीर्षक तैयार किया गया है। इस कारण भी अपील चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार पालना करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। चौपाराम द्वारा मात्र परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है, जो सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण प्रेमाराम वगैरा ने अप्रार्थीगण भीखाराम वगैरा के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 499 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 518, 519, 520, 521 व 500 में से 20 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार पिण्डवाडा से मौका जांच रिपोर्ट एवं डी0एल0सी0 दर से गणना की जाकर रिपोर्ट तलब की गई। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 09.04.2014 को तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अपनी रिपोर्ट एवं संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 31.03.2014 की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 31.03.2014 में यह अंकित किया कि मौके पर ग्रेवल सड़क से खसरा नम्बर 484 व 478 के बीच 503, 493, 494, 481 से 483, 495 से 497, 479, 480 से बीच की माठ पर 10 फीट रास्ता बना हुआ है, जिसके दोनो ओर बाड व पेड लगे हुए है, परन्तु रेकर्ड में दर्ज नही है तथा खसरा नम्बर 501, 500, 520, 521, 519, 499 व 498 के बीच की माठ पर रास्ता 5 फीट मौजूद है। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा पुनः तहसीलदार पिण्डवाडा से मौका रिपोर्ट चाही गई, जो राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प नितोडा में दिनांक 03.07.2015 को प्राप्त होने पर आदेशिका में यह अंकन करते हुए कि प्रार्थी द्वारा ग्राम नितोडा के खसरा नम्बर 498 में से रास्ता चाहा गया है तथा खसरा नम्बर 498 से मुख्य रास्ते तक पूर्व से ही रेकर्डेड रास्ता है, इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 498 में से 1 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए मुआवजा के तौर पर राशि 5650/– खसरा नम्बर 498 के खातेदार चौपाराम पुत्र पुनमाराम को भुगतान करने के आदेश पारित किए। इस प्रकरण में जिस भूमि को रास्ते हेतु प्रदान करने की गई, उस भूमि के खातेदार को न तो प्ररकण में पक्षकार संयोजित किया तथा न ही किसी प्रकार से सुनवाई की गई। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को बिना सुनवाई का तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। हस्तगत प्रकरण में चौपाराम को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये, उसकी भूमि में से 1 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रदान किये जाने के आदेश पारित किए गए, जो विधि सम्मत नही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को न्यायोचित नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2012 प्रेमाराम वगैरा बनाम भीखाराम वगैरा में पांरित आदेश दिनांक 03.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत विधिवत जांच कर हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नऐ सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली